न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
35 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	20.05.2019	08.04.2025

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री आसनदास सिन्धी पुत्र श्री मूलचन्द विक्रेता मैसर्स कृष्णा बैकर्स हायर सैकण्डरी स्कूल के पास जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक (राज0) निवासी सिन्धी कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक(राज0)। पिनकोड–304502
2–श्री दीपक सिन्धी पुत्र श्री आसनदास सिन्धी विक्रता मैसर्स कृष्णा बैकर्स हायर सैकण्डरी स्कूल के पास जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक (राज0) निवासी सिन्धी कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक(राज0)। पिनकोड–304502
3–मैसर्स कृष्णा बैकर्स हायर सैकण्डरी स्कूल के पास जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक (राज0) पिनकोड–304502
4–श्री दोलतराम सबदानी निवासी 8/79, विधाधर नगर, जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स शिव एजेन्सीज दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार जयपुर राज0। पिनकोड–302001
5–मैसर्स शिव एजेन्सीज दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार जयपुर राज0। पिनकोड–302001

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ता 3 श्री प्रमोद शर्मा एवं
अभिभाषक अप्रार्थी सं0 4 ता 5 श्री रोमेन्द्र गूर्जर उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 08/4/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.02.2019 को समय 01:19 पी.एम. पर मैसर्स कृष्णा बैकर्स हायर सैकण्डरी स्कूल के पास जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता की हैसियत से श्री आसनदास सिन्धी पुत्र श्री मूलचन्द अपने प्रतिष्ठान मैसर्स कृष्णा बैकर्स हायर सैकण्डरी स्कूल के पास जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री आसनदास सिन्धी पुत्र श्री मूलचन्द को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री आसनदास सिन्धी पुत्र श्री मूलचन्द ने स्वयं को प्रतिष्ठान का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विक्रेता होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर बताया कि बेटे ने ऑनलाईन आवेदन किया हुआ है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री आसनदास सिन्धी की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कन्फैक्शनरी नमकीन अलग–अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **बिस्किट मोहन बेकरी ब्राण्ड (Biscuit Mohan's Bakery Brand)** जिसके बैंच नं0 0119(S) व पैंकिग दिनांक जनवरी–2019 थी, दुकान की रैक में रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री आसनदास सिन्धी पुत्र श्री मूलचन्द को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री आसनदास सिन्धी पुत्र श्री मूलचन्द एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह बिस्किट मोहन बेकरी ब्राण्ड वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान की रैंक में रखे हुये 30 पैकेट में से 350–350 ग्राम के ज्यों के त्यों प्रिन्टेड लगभग 4 मूल पैकेट **बिस्किट मोहन बेकरी ब्राण्ड (Biscuit Mohan's Bakery Brand)** वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बिस्किट मोहन बेकरी ब्राण्ड (Biscuit Mohan's Bakery Brand)** 4 मूल पैकेट को बराबर–बराबर 350–350 ग्राम साफ एवं सुखी चार प्लासिटक के डिब्बों में भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2102 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2102 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री आसनदास सिन्धी पुत्र श्री मूलचन्द विक्रता मैसर्स कृष्णा बैकर्स हायर सैकण्डरी स्कूल के पास जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स शिव एजेन्सीज दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया एवं प्रबन्धक मैसर्स शिव एजेन्सीज दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार जयपुर पत्र एवं स्मरण पत्र प्रेषित करने पर कोई उत्तर नहीं दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/691 दिनांक 22.03.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0एस0/419/एक्ट/2019/232 दिनांक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

06.03.19 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **बिस्किट मोहन बेकरी ब्राण्ड (Biscuit Mohan's Bakery Brand)** एफ.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा **2(ii)** अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ता 3 श्री प्रमोद शर्मा उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने निर्माता फर्म से उक्त खाद्य पदार्थ क्रय कर उसी अवस्था में विक्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को दोषमुक्त किया जावें। अभिभाषक अप्रार्थी सं0 4 ता 5 श्री रोमेन्द्र गूर्जर उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **बिस्किट मोहन बेकरी ब्राण्ड (Biscuit Mohan's Bakery Brand)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त **बिस्किट मोहन बेकरी ब्राण्ड (Biscuit Mohan's Bakery Brand)** जांच में धारा 26 की उपधारा **2 (ii)** के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **बिस्किट मोहन बेकरी ब्राण्ड (Biscuit Mohan's Bakery Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप(Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने निर्माता फर्म से उक्त खाद्य पदार्थ क्रय कर उसी अवस्था में विक्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को दोषमुक्त किया जाता है एवं अप्रार्थी सं. 4 व 5 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 4 व 5 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/4/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0